बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 88 ● नई दिल्ली ● बुधवार 14 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी की याचिका पर सुनवाई टली; वांगचुक की पत्नी की अपील पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा की उस याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उसने दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित होने की मांग की थी। बब्बर खालसा का आतंकवादी 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या से संबंधित मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति एसएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं थे। पिछले साल 27 सितंबर को शीर्ष न्यायालय ने हवारा की याचिका पर केंद्र, चंडीगढ़ प्रशासन और दिल्ली और पंजाब सरकारों को नोटिस जारी किया था हवारा को 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट से संबंधित मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है।

अगर काटने से किसी बचे-बुजुर्ग की मौत हुई तो देना होगा भारी मुआवजा, बढ़ते कुत्तों के हमलों पर सर्वोच न्यायालय की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली। विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने भारत में आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई की और कहा कि कुत्ते के काटने से हुई हर मौत के लिए रायों पर भारी मुआवजा लगाया जाएगा। सर्वोच न्यायालय ने सभी राय सरकारों से कहा कि वे एबीसी नियमों को लागू करने में बुरी तरह विफल रही हैं। पीठ ने कहा कि हम केंद्र सरकार और राय सरकारों को जवाबदेह ठहराने जा रहे हैं। यह मुद्दा सदियों से चला आ रहा है। आपने स्वयं उल्लेख किया है कि संसद 1950 के दशक से इस पर विचार कर रही है। केंद्र और राय सरकारों के कारण ही यह समस्या 1000 गुना बढ़ गई है। केंद्र और राय सरकारों की ओर से पूर्ण विफलता। कुत्ते के काटने से जान गंवाने वाले हर पुरुष, महिला और बचे के लिए, हम जिम्मेदार सरकार पर भारी मुआवजा लगाएंगे। 8 जनवरी को पिछली सुनवाई में, सर्वोच न्यायालय की पीठ ने एबीसी नियमों के उचित कार्यान्वयन की कमी को उजागर किया और याचिकाकर्ताओं में से एक अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के वकील सहित कुत्ते प्रेमियों को वास्तविकता से दूर होने की चेतावनी भी दी। पिछले सप्ताह,

सर्वोच न्यायालय ने कहा कि वह महिला कुत्ता पालकों और उनकी देखभाल करने वालों के साथ कथित तौर पर कुत्ता पालकों के खिलाफ संगठित समूहों द्वारा किए गए उत्पीड़न के आरोपों पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि यह कानून-व्यवस्था का मामला है और पीड़ित व्यक्ति इसके बारे में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आवारा कुत्तों के मामले में दलीलें सुनते हुए, सर्वोच न्यायालय ने इस मामले में महिलाओं के बारे में की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों के दावों पर भी विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारी की तीन-न्यायाधीशों वाली विशेष पीठ ने पाया कि उनके समक्ष प्रस्तुत कुछ तर्क वास्तविकता से बहुत दूर थे और आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करने के कई वीडियो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व आदेशों में संशोधन और निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन की मांग करने वाली याचिकाओं सहित, कुत्ते प्रेमियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी ने महिला कुत्ता पालकों और उनकी देखभाल करने वालों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और कहा कि कुत्ता पालकों के खिलाफ संगठित समूहों ने इस मामले में पहले पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी ले ली है।

कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर मामला, पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा से जवाब के लिए मांगा समय

नई दिल्ली ।

दिल्ली विधानसभा द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी के कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित करने के आरोप में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। नोटिस पर जवाब देने के लिए इन अधिकारियों ने 10 दिन का समय मांगा है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को कहा कि पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे विधानसभा के वीडियो क्लिप को लेकर दिल्ली के कानून मंत्री मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा। दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), विशेष डीजीपी (साइबर अपराध) और जालंधर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए गए। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा की संपत्ति माने जाने वाले वीडियो क्लिप के इस्तेमाल और पंजाब पुलिस द्वारा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, साथ ही कहा कि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की संपत्ति, जोकि वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में है, उसका उपयोग और उसके आधार पर पंजाब पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई उनके जवाब मिलने के बाद ही तय की जाएगी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक पाप हुआ, जब विपक्ष के नेता ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350 साल पूरे होने पर चल रही चर्चा के दौरान अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से आतिशी गायब हैं, उन्हें मीडिया के सामने न आने का आदेश दिया गया है। इस पाप को छिपाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, इस पाप में भागीदार न बनें। जिस तरह से आतिशी इसके बाद गायब हो गई हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने जो किया वह जानबूझकर किया था। हम इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को इस मामले पर आतिशी से माफी मंगवानी चाहिए थी। मैं आतिशी से कहना चाहता हूं कि वह मीडिया के सामने आएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने एक फोटो दिखाया, जिसमें लापता लिखा हुआ था और सवाल किया गया था आतिशी मार्लेना कहां हैं?

आतिशी कहां हैं?, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने लापता पोस्टर दिखाकर किया हमला, केजरीवाल को भी घेरा

नई दिल्ली । दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर के बलिदान के 350 साल पूरे होने पर चल रही चर्चा के दौरान अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे उन्होंने पाप करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद से आतिशी गायब हैं और उन्हें सामने न आने का आदेश दिया गया है। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि इस पाप को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मामले में भागीदार न बनने की अपील की। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक पाप हुआ, जब विपक्ष के नेता ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350 साल पूरे होने पर चल रही चर्चा के दौरान अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से आतिशी गायब हैं, उन्हें मीडिया के सामने न आने का आदेश दिया गया है। इस पाप को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के आदेश पर, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, इस पाप में भागीदार न बनें। जिस तरह से आतिशी इसके बाद गायब हो गई हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने जो किया वह जानबूझकर किया था। हम इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को इस मामले पर आतिशी से माफी मंगवानी चाहिए थी। मैं आतिशी से कहना चाहता हूं कि वह मीडिया के सामने आएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने एक फोटो दिखाया, जिसमें लापता लिखा हुआ था और सवाल किया गया था आतिशी मार्लेना कहां हैं? उधर, दिल्ली विधानसभा द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी के कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित करने के आरोप में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए।

सुप्रीम कोर्ट सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग पर सख्त- याचिकाकर्ता को फटकार, पूछा- आप खुद को क्या समझते हो?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संसद और अन्य सार्वजनिक स्थानों से विनायक दामोदर सावरकर के चित्र हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को जुर्माना लगाने की चेतावनी दी, जिसके बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी गई।

चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता बी. बालमुरुगन को फटकार लगाई, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिका निरर्थक है और कोर्ट का समय बर्बाद करती है, जिस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सीजेआई ने कहा, इस तरह की ओछी याचिकाएं मानसिकता को दिखाती हैं। बेंच उस समय नाराज हुई, जब याचिकाकर्ता ने कहा कि

वह आर्थिक परेशानी के कारण अदालत में आकर खुद बहस नहीं कर सकते।

इस पर सीजेआई ने कहा, आप आईआरएस में थे। आप दिल्ली आ सकते हैं, खुद पेश हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं। हम आप पर भारी जुर्माना लगा सकते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं? बालामुरुगन ने अपनी जनहित याचिका में संसद के केंद्रीय कक्ष और अन्य सार्वजनिक स्थानों से सावरकर के चित्र हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके अलावा, याचिका में सरकार को ऐसे लोगों को सम्मान देने से रोकने की मांग की गई थी, जिन पर हत्या, हत्या की साजिश या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों जैसे गंभीर अपराधों आरोप लगे हों, जब तक वे अदालत से बरी न हो जाएं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि और उनके सेवा रिकॉर्ड पर सवाल किए। उन्होंने यह भी पूछा कि सेवानिवृत्ति से पहले उनकी अंतिम तैनाती कहां थी और उन्हें पदोन्नति क्यों नहीं मिल पाई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो बालामुरुगन ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि 2009 में श्रीलंका में शांति के लिए भूख हड़ताल करने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई थी। बेंच ने याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और याचिकाकर्ता से पूछा कि वह मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। सीजेआई ने कहा, कृपया इस तरह की चीजों में मत पड़िए। अब अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लीजिए। समाज में कोई सकारात्मक भूमिका निभाइए। परिणाम को भांपते हुए, बालामुरुगन ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

भ्रष्टाचार विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बंटा हुआ फैसला, अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून के 2018 के एक प्रावधान की सांविधानिक वैधता पर खंडित फैसला सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले मंजूरी लेना जरूरी है। भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988 से जुड़े इस मामले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए असांविधानिक है। इसे निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होने पर सवाल खड़े करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये शर्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की भावनाओं के खिलाफ है। इससे जांच बाधित होती है। कानून के ऐसी धाराओं से भ्रष्ट लोगों को संरक्षण मिलता है। हालांकि मुकदमे की सुनवाई कर रही इस खंडपीठ में शामिल एक अन्य न्यायमूर्ति ने कानून की इस धारा को सांविधानिक बताया। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने अपने हिस्से के फैसले में लिखा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए सांविधानिक प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कानून के इस प्रावधान से ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा होती है, जिस पर जोर दिया जाना आवश्यक है। एक तरफ जहां जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 असांविधानिक है और इसे खत्म किया जाना चाहिए, तो वहीं जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस प्रावधान को संवैधानिक बताया और ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया। ऐसे में अब इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने रखा जाएगा ताकि अंतिम फैसले के लिए मामले की दोबारा सुनवाई के लिए एक बड़ी बेंच बनाई जा सके। बता दें कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17, जिसे जुलाई 2018 में पेश किया गया था, किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले मंजूरी के बिना किसी भी पूछताछ या जांच पर रोक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हलफ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संशोधित धारा 17 की वैधता के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर आया है।

दिल्ली के जिम में अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

नई दिल्ली। देश की राजधानी के बाहरी दिल्ली इलाके पश्चिम विहार में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात अज्ञात हमलावरों द्वारा एक जिम को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वारदात के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने के दावे ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार में एक जिम में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को हुई इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उसने जिम में हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट के मुताबिक, जिम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि गैंग की तरफ से मालिक को किया गया फोन कॉल का जवाब नहीं दिया गया। पोस्ट में रणदीप मलिक ने लिखा, जय महाकालज जय श्री राम। सत श्री अकालज सभी भाइयों को राम राम। आज दिल्ली के पश्चिम विहार में जिम (आरके फिटनेस, रोहित खत्री) में फायरिंग हुई। यह फायरिंग मैंने, रणदीप मलिक और अनिल पंडित (ई) ने की है। मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने कॉल इग्नोर कर

दिया, इसलिए यह करना पड़ा। अगर अगली बार तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हें इस धरती से खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जिम के गेट पर ही, ठीक वैसे ही जैसे नादिर शाह को खत्म किया गया था। कोई और तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर रहा होगा। नोट- जो भी लॉरेंस भाई का दुश्मन है, वह जिंदगी भर दुश्मन रहेगा। जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं आ जाती। मैं अपने भाई के लिए जीता हूं - मैं सिर्फ बात करने में नहीं, बल्कि करके दिखाने में विश्वास रखता हूं। पुलिस ने बताया कि वे पोस्ट की सचाई की जांच कर रहे हैं। आर के जिम में फायरिंग की जानकारी मिलने के बाद, पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके को घेर लिया। अधिकारियों ने बताया कि सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया था।

एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया, मौके से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है, और हमलावरों की पहचान करने और उन्हें ढूंढने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी संभावित एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटनाक्रम को समझने और हमलावरों के भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

लॉरेंस बिश्नोई कौन है?

लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है। उसका जन्म 12 फरवरी, 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतरानवाली गांव में हुआ था। वह कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति में एक्टिव था, लेकिन बाद में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे आपराधिक दुनिया में मशहूर हो गया। वह 2015 से लगातार जेल में है, और आरोप है कि वह अभी भी आपराधिक दुनिया का संरगना है और जेल के अंदर से ही अपना गैंग चलाता है। लॉरेंस पर मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला (2022) की हत्या का भी आरोप है।

हड़प जाएगा चीन ?

दुनिया में अभी जो हालात बने हुए हैं उसमें हर किसी के मन में एक गंभीर सवाल तैर रहा है कि क्या चीन जल्दी ही ताइवान को हड़प लेगा और दुनिया देखती रह जाएगी या फिर ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका मैदान में कूदेगा यदि ऐसा हुआ तो चीन की चाल क्या होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत पर इसका क्या असर होगा? इस वक्त इस सवाल के गंभीर हो जाने का कारण यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है और उसके सात हजार वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका जंग समाप्त कराने की जो कोशिश कर रहा है उसमें कब्जे वाला इलाका रूस के पास ही रहने की बात हो रही है। इधर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया और स्पष्ट है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जा हो चुका है, ऐसे में चीन के पास ताइवान को हड़पने का सुनहरा मौका है। चीन के पास हड़पने का पुराना नुस्खा है। 1950-51 में उसने तिब्बत को हड़प लिया और दुनिया बस जुबानी जमा खर्च ही करती रही और जहां तक ताइवान का सवाल है तो उसे अपने में समेट लेने की धमकी ही शी जिनपिंग हमेशा देते रहे हैं। उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने को भी कहा है। हर साल चीन इस तरह का सैन्य अभ्यास भी करता है कि बस अब उस पर कब्जा करने ही वाला है। चीनी विमानों का ताइवान के आकाश में उड़ान भरना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। चीन की चाहत है कि ताइवान उसके एक विमान को भी निशाना बनाए तो फिर हमले का बहाना मिल जाए, मगर ताइवान ने संयम बनाए रखा है। समझ लीजिए कि मामला बस यहीं रुका है। आप में से बहुतों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि ताइवान को चीन आखिर क्यों हड़पना चाहता है? इसका जवाब पाने के लिए इतिहास में पीछे लौटना होगा। जापान ने 1931 में चीन पर कब्जा करना शुरू किया और 1945 तक चीन के बड़े हिस्से पर उसका कब्जा था। जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराए तो दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त हो गया। इसके साथ ही चीन आजाद हो गया। देश का नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ चाइना, मगर दो पार्टियों में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पुरानी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिनतांग थी। उसके नेता थे यांग काई-शेक। दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी जिसके नेता थे माओ-त्से तुंग। दोनों के बीच जबर्दस्त लड़ाई हुई। माओ भारी पड़े और यांग काई-शेक ने भाग कर चीन के समुद्री इलाके में शरण ली जिसे उन्होंने आजाद घोषित किया और देश का नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे आम-फहम भाषा में ताइवान कहा गया। इधर माओ-त्से तुंग ने अपने नियंत्रण वाले देश का नाम रखा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। माओ चाह कर भी ताइवान पर कब्जा करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरे ताइवान पर कब्जा करने के साधन उस समय उनके पास नहीं थे। कुछ छिटपुट लड़ाइयां हुईं लेकिन चीन को सफलता नहीं मिली। वक्त ने करवट ली जब 1979 में चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हुआ। अमेरिका को एक बड़े बाजार की जरूरत थी और चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति देंग शिआओपिंग ने अमेरिका को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह केवल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही असली चीन माने। अमेरिका मान गया और तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात ताइवान में अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया। देंग शियाओपिंग ने तत्काल ताइवान को धमकी दी कि वो चीन में समा जाए, मगर यह हिम्मत नहीं हुई कि ताइवान पर हमला कर सकें। बाद में दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत होती रही और सच यही है कि तल्खी भी बढ़ती चली गई। आज तो पूरा ताइवान ही चीन के खिलाफ है। चीन हमले की कोशिश करेगा तो उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना होगा। भीषण खून-खराबा होगा। वैसे चीन में शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद ही अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि वे ताइवान को चीन में मिला कर ही मानेंगे। यह उनके लिए इज्जत का सवाल बन चुका है, यदि वे ताइवान फतह कर लेते हैं तो चीन के वे सर्वकालिक सर्वशक्तिमान नेता बन जाएंगे। वैसे दोनों देशों की सैन्य शक्ति में जमीन-आसमान का अंतर है लेकिन ताइवान को भरोसा है कि अमेरिका उसका साथ देगा। अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा अभी-अभी किए गए एक अध्ययन में कहा भी गया है कि चीन हमला करता है तो उसके लिए जीतना आसान नहीं होगा। उसके एक लाख सैनिक मारे जा सकते हैं। ताइवान के पचास हजार सैनिकों के साथ पचास हजार नागरिक तथा अमेरिका के पांच हजार सैनिक हताहत हो सकते हैं। रिपोर्ट का यह भी दावा है कि अंततः चीन को पीछे हटना पड़ेगा। अध्ययन में अमेरिकी सैनिकों के जिक्र का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका तैयार है। इस बात को चीन समझ रहा है और यही कारण है कि वह ताइवान पर हमला नहीं कर पा रहा है, मगर वह रह-रह कर धमकी जरूर दे रहा है, यदि ये जंग हुई तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम भी कहीं न कहीं जरूर प्रभावित होंगे। दुनिया के सारे देशों को समझना होगा कि जंग किसी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता लेकिन सिरफिरे नेताओं को कौन समझाए?

भारत में सौर ऊर्जा का तेज़ी से विस्तार होना एक बड़ी सफलता

मोदी सरकार के प्रयासों से भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में पिछले दशक में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है। विशाल सौर पार्कों से लेकर शहरों, कस्बों और गांवों की नीली छतों तक, हर जगह सोलर पैनल नजर आते हैं सिर्फ एक दशक पहले, भारत का सौर ऊर्जा परिदृश्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, जहां सोलर पैनल केवल कुछ छतों और रेगिस्तानों में ही दिखते थे। आज, देश इतिहास रचने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। असल में, नवीकरणीय ऊर्जा देश की जलवायु रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार होना एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। वर्ष 2014 में मात्र 3 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2025 में लगभग 129 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसमें ग्राउंड-माउंटेड प्रोजेक्ट, रूफटॉप सोलर, हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ-ग्रिड इंस्टॉलेशन शामिल हैं। बड़े सौर पार्कों के साथ-साथ लाखों घरों पर लगे रूफटॉप सिस्टम अब बिजली पैदा कर ग्रिड में ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। दरअसल, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहां कर्क रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है। इससे देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय महाद्वीप की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 748 गीगावाट है। राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में देश की सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है, जो उन्हें भारत के स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रमुख चालक बनाती है। चूंकि सौर ऊर्जा अब भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है तथा भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के लिये प्रेरित करती है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जुलाई 2025 तक 4,000 प्रतिशत बढ़ गई थी और देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 227 गीगावाट तक पहुंच गई थी। जम्मू-कश्मीर का पल्ली गांव एक उल्लेखनीय उदाहरण बन गया जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने के कारण भारत की पहली कार्बन-न्यूट्रल पंचायत के रूप में उभरा। पीएम सूर्य घर मिशन, नवीकरण ऊर्जा और नेट-जीरो उत्सर्जन की ओर भारत के प्रयासों के मुख्य स्तंभों में से एक है। 1 3 फरवरी, 2024 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ शुरू की गई इस योजना का कुल खर्च 75,021 रुपये करोड़ है। इसका मकसद एक करोड़ घरों को रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली देना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। यह योजना नवीकरण ऊर्जा स्रोत अपनाने को बढ़ावा देती है जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के वादे को समर्थन मिलता है। सौर ऊर्जा अब कुल ऊर्जा में 20 फीसदी से अधिक का योगदान करती है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। बेशक यह इस्तेमाल में साफ यानी प्रदूषण मुक्त है लेकिन अगर सही तरीके से प्रबंधन न किया जाए तो सोलर पैनल पर्यावरण के लिए खतरा बन सकते हैं। सोलर पैनल का ज्यादातर हिस्सा रिसाइकल किया जा सकता है। इनमें कांच, एल्युमिनियम, चांदी और पॉलिमर होते हैं लेकिन इनमें थोड़ी मात्रा में ही मौजूद सीसा और कैडमियम जैसी जहरीले धातुओं को अगर ठीक तरीके से संभाला न जाए तो ये मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। आमतौर पर सोलर पैनल लगभग 25 साल तक चलते हैं, उसके बाद उन्हें हटाकर फेंक दिया जाता है। फिलहाल भारत में सौर कचरे को रिसाइकल करने के लिए अलग से कोई बजट नहीं है और पुराने पैनलों को प्रोसेस करने के लिए कुछ छोटे-छोटे केंद्र ही हैं। भारत के पास सौर कचरे का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। एक अध्ययन के मुताबिक 2023 तक लगभग एक लाख टन और 2030 तक 6 लाख टन तक सौर कचरा पैदा हो सकता है। अभी यह मात्रा कम है लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कचरे का असली बोझ आगे आने वाला है। अगर जल्द ही निवेश कर रीसाइक्लिंग की व्यवस्था नहीं बनाई गई तो भारत को बढ़ते सौर कचरे के संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के एक नए अध्ययन के मुताबिक, भारत में 2047 तक 1.1 करोड़ टन से ज्यादा सौर कचरा पैदा हो सकता है। इसे सुरक्षित रूप से ठिकाने लगाने के लिए लगभग 300 विशिष्ट रीसाइक्लिंग केंद्र चाहिए होंगे और अगले दो दशक में करीब 47.80 करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा। संभावित खतरों को देखते हुए भारत में 2022 में सोलर पैनलों को ई-वेस्ट नियमों के तहत लाया गया। इससे अब यह निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि पैनलों की उम्र पूरी होने पर वे (निर्माता) उन्हें इकट्ठा करें, स्टोर करें, तोड़ें और रिसाइकल करें। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस और ओएसओडब्ल्यूओजी जैसी पहलों के जरिए वैश्विक भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर योजनाओं पर अमल के साथ, भारत यह दिखा रहा है कि सौर ऊर्जा एक घरेलू समाधान और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा प्रगति का जरिया, दोनों हो सकती है। जैसे-जैसे भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ा रहा है, नवाचार को बढ़ावा दे रहा है ।

सम्पादकीय...

हथियारबंद हमलावर

2026 के सिर्फ पहले हफ्ते में, पंजाब में लगातार 4 टारगेटेड किलिंग्स हुईं, जो राज्य में मुश्किल हिंसा के जमे हुए पैटर्न के लगातार बने रहने और बढ़ने तथा कानून-व्यवस्था में गंभीर कमियों को दिखाती है। हमलावरों का साफ तौर पर बेखौफ होना, खालिस्तान समर्थक चरमपंथी तत्वों, नारकोटिक्स की तस्करी और स्थानीय राजनीतिक दुश्मनी से जुड़े ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर नेटवर्क की बढ़ती हिम्मत को दिखाता है। 5 जनवरी, 2026 को, गगनदीप सिंह, जो बाउंसर के तौर पर काम करने वाले एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी थे और जगराओं की 'आप' विधायक सरवजीत कौर के करीबी रिश्तेदार थे, को जगराओं में मानुके गांव के बाहरी इलाके में अनाज मंडी के पास एक खेत में हथियारबंद हमलावरों ने गोली मार दी। शुरुआती जांच से पता चलता है कि हत्या दुश्मन ग्रुप्स के बीच झगड़े के बाद हुई। 4 जनवरी, 2026 को, 'आप' सरपंच जरमल सिंह को अमृतसर जिले में अमृतसर-अटारी रोड पर वेरका के पास एक रिजॉर्ट में भीड़ भरे शादी समारोह के दौरान 2 बिना मास्क वाले हथियारबंद हमलावरों ने गोली मार दी। उनको एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रहने वाले गैंगस्टर प्रभ दासुवाल से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थीं। 3 जनवरी, 2026 को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उमरबिर सिंह को मोगा जिले के दुन्नेभदर कलां गांव में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने गोली मार दी। इससे पहले, 2 जनवरी, 2026 को, हेमप्रीत कौर, एक एन.आर.आई., जो लगभग एक महीने पहले विदेश से लौटी थी, को कपूरथला जिले में दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने टारगेटेड हमले में गोली मारकर हत्या कर दी। खास बात यह है कि 2016 में इस पैटर्न के फिर से शुरू होने के बाद से, 8 साल (2008-2015) के बाद, 2025 में पंजाब में टारगेटेड किलिंग की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज की गई है, जिसमें ज्यादातर घटनाएं विदेशों में मौजूद गैंगस्टर सिंडिकेट और कट्टरपंथी खालिस्तानी तत्वों से जुड़े ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क से जुड़ी हैं। खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म मॉनिटर (के.ई.एम.) के डाटा से पता चलता है कि पंजाब में गैंगस्टर या आतंक से जुड़ी ये मौतें हुईं-2016 में 3 (सभी आम नागरिक, टारगेटेड किलिंग), 2017 में 6 (सभी आम नागरिक, टारगेटेड किलिंग्स), 2018 में 3 (आतंकवादी हमले में आम नागरिक मारे गए), 2019 में 2 (एक ब्लास्ट में दो आतंकवादी मारे गए), 2020 में 2 (आम नागरिक, टारगेटेड किलिंग्स), 2021 में 1 (ब्लास्ट में आतंकवादी मारा गया), 2022 में 3 (आम नागरिक, टारगेटेड किलिंग), 2023 में 6 (3 आम नागरिक और 3 गैंगस्टर, सभी टारगेटेड किलिंग), 2024 में 9 (7 आम नागरिक और 2 गैंगस्टर-8 टारगेटेड किलिंग और एक इंटर-गैंग वॉर) और 2025 में तेजी से बढ़कर 31 (19 आम नागरिक, 3 आतंकवादी और 9 गैंगस्टर, जिसमें 21 टारगेटेड किलिंग) शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर टारगेटेड किलिंग एक कमांड-एंड-कंट्रोल स्ट्रक्चर को दिखाती है, जो उत्तर भारत में लोकल और मिड-लेवल गैंग के ऑपरेटिव को अमेरिका, कनाडा, यूरोप, लातिन अमेरिका, मिडल ईस्ट और साउथ-ईस्ट एशिया से ऑपरेट करने वाले विदेश में मौजूद गैंग लीडर्स के साथ-साथ पाकिस्तान की आई.एस.आई. के सपोर्ट वाले गैंगस्टर्स और आतंकवादियों से जोड़ता है।

राष्ट्रीय नेटवर्क से मिजोरम का पहला रेल-परिवहन संपर्क

जब मैं 2015 में बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना में शामिल हुआ तो मुझे लगता था कि यह देश के ऐसे हिस्से में कदम रखने जैसा है जिस पर शायद ही कभी राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया गया हो। यह सफर खुद ही अपनी कहानी कहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-154, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग-06 कहा जाता है, एकमात्र पहुंच मार्ग था जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और भरोसे के लायक नहीं था। भारी ट्रक अक्सर कई दिनों तक फंसे रहते थे और निकटवर्ती स्थानों की यात्रा हिचकोलों से भरी होती थी। आसपास की पहाड़ियां छोटी, कमजोर और अस्थिर थीं, जिनका आकार तीव्र वर्षा और निरंतर ढलान गति के कारण बदलता रहता था। कागज पर परियोजना ऐतिहासिक थी, राष्ट्रीय नेटवर्क से मिजोरम का पहला रेल-परिवहन संपर्क जो पहाड़ों, तीव्र ढलान और गहरी घाटियों को काट कर तैयार किया जा रहा था। हालांकि, जमीनी स्तर पर प्रगति बहुत धीमी थी। सामग्री की अनुपलब्धता, श्रम की कमी, परिवहन में विलंब, स्थानीय बाधाएं और लगातार स्थगित निर्णयों के कारण कार्यस्थल पर काम न होना आम बात थी। एक सुरंग डिजाइन सलाहकार और भूविज्ञानी के रूप में भूविज्ञान कार्य चुनौतीपूर्ण था लेकिन इसकी गंभीरता समझी जा सकती थी। जो बात वास्तव में अधिक कठिन साबित हुई, वह थी- संस्थागत निष्क्रियता। परियोजना देश के सबसे दूर-दराज के क्षेत्र में स्थित थी। समीक्षा छिटपुट थी। निर्णय लेने का अधिकार मंत्रालयों, राज्य विभागों और एजेंसियों में बिखरा हुआ था। धीरे-धीरे, एक असहज सच्चाई स्पष्ट होने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भी वास्तव में यह उम्मीद नहीं करता था कि परियोजना निकट भविष्य में पूरी होगी। फिर, चुपचापपूर्वक और बिना किसी घोषणा के पूरी प्रणाली में अचानक तेजी आयी। परियोजना कार्यालयों में एक स्पष्ट तत्परता का भाव दिखने लगा। फोन बार-बार बजने लगे। वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से कार्यस्थलों का दौरा करने लगे। लंबे समय से लंबित फाइलों को तुरंत सामने लाया गया, उनकी समीक्षा की गई और उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा गया। बैठकें तेजी से व नियमित रूप से निर्धारित की जाने लगीं, अक्सर उन एजेंसियों को भी शामिल किया गया जो पहले अलग-अलग रहकर काम करती थीं।

एक निजी सलाहकार के रूप में मैं प्रशासनिक विभाग का हिस्सा नहीं था और किसी ने भी गतिविधि में आयी इस अचानक तेजी के पीछे का कारण नहीं बताया लेकिन बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लंबे अनुभव ने मुझे संकेत को पहचान करना सिखा दिया था। यह सामान्य दबाव नहीं था। यह शीर्ष स्तर पर निरीक्षण की तैयारी थी। जल्द ही कारण स्पष्ट हो गया। बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना की समीक्षा पीएम की अध्यक्षता वाले सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच के तहत निर्धारित की गई थी। परियोजना लंबे समय तक हाशिये पर रही लेकिन प्रगति के अंतर्गत समीक्षा से प्राधिकार व जवाबदेही तय हुई और हर लंबित मुद्दे तथा एजेंसियों के बीच अड़चनों के सम्बन्ध में वास्तविक समय पर जांच की व्यवस्था की गयी। इस बैठक के बाद निर्णय मेल खाने लगे, और प्रगति दिखाई दी जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार शासन अक्सर परिणाम तय करता है। मार्च 2016 की प्रगति समीक्षा बैठक ने परियोजना के आयाम में मूलभूत बदलाव किये। इस समीक्षा के तहत समस्याओं की अलग-अलग जांच नहीं की जा सकती थी और न ही उन्हें अनिश्चितकाल के लिए टाला जा सकता था। एन-एच-06 की अत्यंत खराब हालत अब रेलवे के कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं मानी जा रही थी। स्पष्ट समयसीमा और निरंतर निगरानी के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मरम्मत और सुधार कार्य करने का निर्देश दिया गया। भूमि अधिग्रहण में देरी को अब केवल सामान्य प्रशासनिक बाधाओं के रूप में नहीं देखा जा रहा था, मिजोरम सरकार को समाधान तेज करने का निर्देश दिया गया और प्रगति पर निगरानी रखी गई। कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को औपचारिक रूप से क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम माना गया और उन पर कड़ी निगरानी रखी गयी। जैसे-जैसे महीने बीतते गए, यह स्पष्ट हो गया कि प्रगति संस्थागत व्यवहार को बदल रही थी। समीक्षा अब देरी की व्याख्या करने से हटकर उन्हें हल करने पर केंद्रित हो गई और रिपोर्ट के स्थान पर तस्वीरें, समय रेखाओं और स्थल अवस्थिति डेटा का उपयोग होने लगा। डिजिटल निगरानी यह सुनिश्चित करती थी कि एक बार उठाए गए मुद्दे तब तक चर्चा में बने रहें जब तक कि उनका समाधान न हो जाए। इस अनुशासन से पूरी प्रणाली में काम करने के तरीके बदल गये। इंजीनियर अधिक निर्णायक हो गए, ठेकेदार अधिक जवाबदेह बन गये तथा राज्य और केंद्रीय एजेंसियां अधिक निकटता से समन्वय करने लगीं, क्योंकि हिस्सों में काम करने को अब सहन नहीं किया जाता था। जमीनी स्तर पर प्रभाव स्पष्ट था। सुरंग खुदाई पहले छिटपुट तरीके से की जा रही थी। जटिल भूविज्ञान, टूटे हुए चट्टान, संरचनात्मक बदलाव क्षेत्र, पानी का रिसाव और कमजोर स्तरों के बावजूद अब खुदाई के काम में लगातार प्रगति होने लगी। समय के साथ उपलब्धि का पैमाना स्पष्ट हो गया। लगभग एक-तिहाई मार्ग को कवर करने वाली 45 सुरंगें, 150 से अधिक पुल, सुरंग खंडों के माध्यम से बिना बालास्ट वाला ट्रैक और देश के सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में से एक में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति की सुविधा। चार नए स्टेशन होर्टोकी, काउनपुई, मुअलखांग और सैरांग लंबे समय से अलग-थलग समुदायों की सेवा के लिए तैयार हुए।

इंजीनियरिंग से परे, परियोजना ने एक गहरी सच्चाई को उजागर किया। पूर्वोत्तर में परियोजनाओं पर इसके प्रभाव से परे, प्रगति पोर्टल का देशव्यापी विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, क्योंकि निर्णय लेने में तेजी और बेहतर समन्वय ने पूरे देश में अवसंरचना के निरंतर विस्तार का समर्थन किया है। हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट सचिव ने प्रगति व्यवस्था के प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रगति व्यवस्था के तहत 382 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर चुके हैं। प्रगति इकोसिस्टम से 85 लाख करोड़ रुपये (लगभग 850 बिलियन डॉलर) से अधिक मूल्य की अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आयी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जमीन पर किए गए अवलोकन, स्थानिक परिणाम और वित्तीय संकेतक साथ मिलकर दर्शाते हैं कि भारत में अवसंरचना व्यय को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया गया है और प्रभावी ढंग से प्रवाहित किया गया है जिससे राष्ट्रीय विकास में एक स्थिर योगदानकर्ता के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई है।

साहित्यकार समाज के बुनियादी सवालों से कटा हुआ

यह वर्ष 2011 की बात है। नर्मदा नदी पर रिपोर्टिंग के सिलसिले में 'तहलका' पत्रिका का संवाददाता रहते हुए मुझे दिल्ली से जबलपुर और वहाँ से मध्यप्रदेश के कई इलाकों में घूमना था। जबलपुर में मेरी पहचान बहुत सीमित थी। उन्हीं थोड़े-से नामों में एक थे बरगी बाँध विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे राजकुमार सिन्हा। उन्हीं से मुझे ज्ञानरंजन और रजनीकांत यादव का नंबर मिला। रजनीकांत यादव नर्मदा को जीने वाले फोटोग्राफर थे। नदी, विस्थापन और नर्मदापट्टी की जमीनी समझ उनके भीतर रची-बसी थी। मैं सबसे पहले उन्हीं से मिलने उनके घर पहुँचा। बाद में उन्होंने 'नर्मदा की नई कथा' जैसा उम्दा उपन्यास भी लिखा। उनसे बातचीत में मेरी स्टोरी के लिए बहुत सामग्री मिली। उसी बातचीत में कई बार ज्ञानरंजन जी का नाम आया, पर मैं उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया। शायद इसलिए कि समय कम था। बरगी से बैगाचक और फिर मंडला के गाँवों तक का लंबा रास्ता मेरे सामने था। चलते समय उन्होंने पूछा, ज्ञानरंजन जी को पढ़ा है? मैंने संकोच छिपाते हुए कहा, उनका नाम बहुत सुना है। उन्होंने ज्ञानरंजन की कहानियों की एक किताब मेरे हाथ में थमा दी। मैंने उसे अपने हैंडबैग में रख लिया और राजकुमार सिन्हा के पास पहुँचा। उन्होंने भी वही सवाल किया, किन-किन से मिले, ज्ञानरंजन जी से मिले? मैंने हड़बड़ी में कहा, लौटकर मिलूँगा। द सच यह है कि तब समकालीन हिन्दी साहित्य को लेकर मेरी समझ और भी सीमित थी। मन में यह धारणा थी कि साहित्यकार समाज के बुनियादी सवालों से कटा हुआ, किसी दूसरी ही दुनिया का प्राणी होता है। फिर मिलने से क्या होगा? लेकिन, जब राजकुमार सिन्हा ने बताया कि ज्ञानरंजन ने बरगी बाँध विस्थापितों के समर्थन में एक ऐसी अपील लिखी है जिसने सत्ता, बुद्धिजीवियों और आम लोगों तक गहरा असर डाला और आंदोलन को नई ताकत दी तो मेरे भीतर उनके लिए एक सम्मान जागा। ऐसा सम्मान, जो बिना मिले ही बन जाता है। फिर भी मैं उनसे नहीं मिला। गाँवों की ओर निकल गया। सोचा था, लौटते समय मिल लूँगा। ट्रेन भी जबलपुर से ही पकड़नी थी, पर यात्रा इतनी खिंच गई कि किसी तरह ट्रेन पकड़ पाया। ज्ञानरंजन से मिलना रह गया। रास्ते में समय काटने के लिए रजनीकांत जी की दी हुई किताब याद आई। बैग से निकाली और पढ़ना शुरू किया। फिर पढ़ता ही चला गया- एक कहानी, फिर दूसरी, फिर तीसरी... साहित्यकार को लेकर मेरे मन में जमे सारे जाले साफ हो गए। मुझे लगा, कितनी बड़ी भूल हो गई कि ज्ञानरंजन से मिले बिना ही जबलपुर छोड़ दिया। अब एक ही विकल्प बचा था, उन्हें फोन करना। दिल्ली जाकर मैंने उनसे बात की। उनका वर्णन 'तहलका' में छपा भी। लेकिन, उस एक बातचीत ने यह बात भीतर बैठा दी कि विचार कितना निर्णायक होता है। अगर पहले ही उनसे मिल पाया होता तो शायद मेरी पूरी दृष्टि बदल जाती, और मेरी स्टोरी भी। इसके बाद कई नौकरियाँ, कई शहर। अंततः 2017 में पुणे आ गया। लेकिन, इन वर्षों में यह हुआ कि मैं ज्ञानरंजन के गद्य की एक-एक पंक्ति खोज-खोजकर पढ़ने लगा। 'पहल' की वेबसाइट पर जाना, पढ़ना- यह एक आदत बन गई। 9 अप्रैल, 2018 को ज्ञानजी जबलपुर से पुणे के लिए निकले। ट्रेन में बैठते समय उनका कॉल आया, शिरीष, मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में लंबी बातचीत करनी है। कल मिलने आओ। अकेले आना। यह तारीख मुझे इसलिए याद है कि अगले दिन अपने प्रिय लेखक से हुई मुलाकात को लेकर मैंने उत्साह में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी। मुझे हैरानी इस बात की थी कि वे मेरे बारे में मुझसे क्या जानना चाहते हैं। वे मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे। बस 'पहल' के लिए भेजे गए एक यात्रा-अनुभव से मेरा नया मोबाइल नंबर उनके पास था। अगली दोपहर उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के फ्लैट का पता दिया। मैंने आधे दिन की छुट्टी ली और शहर के दूसरे छोर पर पहुँचा। शिरीष आए हैं, यह कहकर उन्होंने पत्नी सुनयना जी को बुलाया और मेरा परिचय ऐसे कराया, मानो मेरे बारे में उन दोनों के बीच पहले से बातें हो चुकी हों। फिर बालकनी में ले जाकर कुर्सी पर बैठाया और मेरे जीवन की पूरी यात्रा गाँव से शहर, शहर-दर-शहर, पत्रकारिता, यात्राएँ, सब कुछ जानने लगे। वे ऐसे पूछ रहे थे, जैसे मुझमें कुछ देखते हों। जैसे 'पहल' के लिए मैं कथेतर में कुछ जरूरी दे सकता हूँ। घंटों बातचीत के बाद उन्होंने कागज-कलम मँगवाया और बताया कि मेरी कौन-सी यात्राएँ वे 'पहल' में छपना चाहते हैं। बतौर संपादक उनकी आँखों में चमक थी। मैं खुश भी था और डरा हुआ भी। मैंने कहा, अगर ज़ोर लगाकर भी पूरा न कर पाया तो? वे मुस्कराए, बोले, तासीर है, कर लोगे। फिर उन्होंने रिपोर्ताज की विधा पर बात की, ऐसी बातें, जो आज भी मेरे साथ चलती हैं। फिर कुछ और बातें, उनमें से कुछ मुझे टूटे-फूटे रूप में याद हैं, जैसे ईमानदारी तब सुंदर लगती है, जब लिखते समय अपनी कमजोरियों की गाँठ खोलते हो। अनुभव में कहानी होनी चाहिए, डायरी भी कहानी की तरह लगे। पत्रकारिता तथ्य का संसार है, साहित्य भावों का, लेकिन जो नाल है, वह विचार है- दिखता नहीं, पर बहता रहता है। कैमरा जहाँ तक नहीं देख सकता, वहाँ से लिखो। मैंने पूछा, भाषा? हँसकर बोले, भाषा तुम्हारी होगी। सुख की हो या दुख की, बस उसमें सौंदर्य हो। कलावाद और नारेबाजी, दोनों से बच सको तो अच्छा। फिर वे मुझे छोड़ने सड़क तक आए और जाते-जाते बोले, चलो, मॉल भी देख लें। ये दुनिया भी देखनी चाहिए। मैंने पहल के लिए पहली रचना भेजी, 'वह कल मर गया'। उन्होंने रिजेक्ट कर दी। लेकिन, फोन पर विस्तार से समझाया। किताबें सुझाईं। कहा, तुम विवरण ज्यादा लिखते हो। पाठक को सब कुछ मत समझाओ। कुछ उसके लिए छोड़ दो। फिर वही रचना 'पहल' में छपी। जब पहल जिसे पुस्तक कहा जाता था, हाथ में आई तो लगा जैसे अपनी ही किताब को छू रहा हूँ। उसके बाद तीन और रचनाएँ छपीं।

आदिवासी बंजारा, दलित और सैयद मदारी- हर जीवन को उन्होंने विस्तृत जगह दी। एक दिन थोड़ी सख्ती से बोले, कहीं और प्रयास करो। मैंने बुरा नहीं माना। मोह बना रहा। उन्हीं रचनाओं पर काम करके आगे 'एक देश बारह दुनिया' की पांडुलिपि बनी। दो साल की मशक्कत के बाद वह राजपाल प्रकाशन से छपी। इसी बीच, एक शाम मुझे ज्ञान जी की बहुत याद आई। मैंने उन्हें कॉल किया। वे बोले, तुम्हारी किताब ठीकठाक बन गई है- 'हम तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएँगे' अध्याय तक पहुँच गया हूँ। फिर हँसते हुए पूछा, बाकी कुछ रचनाएँ हमें क्यों नहीं दीं? मैं कुछ नहीं बोला। शायद वे पिछला बहुत कुछ भूल गए थे। 2025 में 'संगत' को दिए एक साक्षात्कार के बाद वे अचानक विरोध के घेरे में आ गए। अपनी बेबाकी के चलते वे सोशल मीडिया पर ट्रोल किए गए। तब मुझे लगा कि ज्ञानरंजन का संकट यही था कि वे उसूलों के उस समय के थे, जो अब बीत चुका है। जहाँ उसूल, ईमान और बेबाकी को अहंकार कहा जाने लगा है। लोगों को मूर्ति चाहिए, ईमान नहीं। साहित्य में चापलूसी बहुतों के लिए शिष्टाचार का रूप ले चुका है। शायद आज की हिन्दी को ज्ञानरंजन नहीं चाहिए। लेकिन, सच यह भी है कि बिना आक्रोश ज्ञानरंजन, ज्ञानरंजन नहीं। वह आक्रोश उनकी कहानियों में भी था और उनके चेहरे पर भी। और उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी यदि जीवित रहा तो वह सौंदर्य की तरह उन पर दमकता रहा। उसके कुछ दिनों बाद, 14 अगस्त को ज्ञान जी का ही कॉल आया। मैंने उन्हें व्हाट्सऐप पर अपना लिखा हुआ कुछ भेजा था और लगभग तुरंत उनका फोन आ गया। मैंने कहा, मुझे अपराध-बोध हो रहा है कि कॉल मुझे करना चाहिए था, पर आप ही कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर उस कथित विवादित इंटरव्यू का जिक्र नहीं किया। वे मेरे लिखने पर बात करने लगे और बातचीत धीरे-धीरे लंबी होती चली गई। अचानक उन्होंने स्वयं को रोकते हुए कहा, अब मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगा। पूछना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने पूछ लिया, क्या हुआ ज्ञान जी? वे बोले, थकान बहुत रहती है, देह सूख चुकी है, वजन लगभग बचा ही नहीं है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराई थी। मैं अपने बुजुर्ग को दिलासा देने के लिए कोई ठीक-ठाक जवाब ढूँढता रहा, पर मुझसे कुछ कहा नहीं जा सका। वह ज्ञान जी से मेरी आखिरी बातचीत थी। सच, हिन्दी साहित्य ने छोटे शहरों और कस्बों की उस आवाज को खो दिया है, जो बिना शोर किए, बिना केंद्र में आए, लगातार वहाँ खड़ी रही जहाँ साहित्य अक्सर पहुँचना नहीं चाहता।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/[illegible])

मुरादाबाद की सड़कों पर कबाड़ हुए 9 करोड़ रुपये! स्मार्ट ई-बाइक्स बनीं कबाड़, जनता के टैक्स की बर्बादी

मुरादाबाद।

नौ करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत बने ई बाइक स्टैंड फांक रहे धूल जनता के दिलो दिमाग में नहीं चढ़ पाई ई बाइक शेयरिंग योजना

स्मार्ट सिटी के तहत शहर को प्रदूषण-मुक्त और किफायती परिवहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-बाइक शेयरिंग योजना चार साल में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। 2022 में साइकिल दिवस पर बड़े प्रचार-प्रसार के साथ शुरू हुए इस प्रोजेक्ट पर करीब नौ करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन आज स्थिति यह है कि स्टैंड पर खड़ी ई-बाइकें धूल फांक रही हैं और कई जगहों पर स्टेशन ही हटा दिए गए हैं। चार साल पहले जहां करीब 20 प्रतिशत लोग ई-बाइक का उपयोग कर रहे थे, अब यह आंकड़ा 10 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। शहर में शुरुआत में 35 स्थानों पर ई-बाइक स्टेशन बनाए गए थे। इनमें अकबर किला, पीलीकोठी चौराहा, पीवीआर, पीएसी, सर्किट हाउस, पुलिस लाइन जैसे प्रमुख इलाके शामिल थे। लेकिन उपयोग न होने और स्टैंड भिखारियों का अड्डा बनने के कारण 15 स्थानों से ई-बाइक स्टैंड हटाए जा चुके हैं। अब

सिर्फ 20 जगहों पर ही ई-बाइक खड़ी हो रही हैं, जहां प्रति स्टैंड औसतन 10 बाइक रखने की क्षमता है, मगर कई स्टैंड पर पूरा दिन एक भी बाइक नहीं निकलती। ई-बाइक परियोजना के तहत शहर में 300 ई-बाइक खरीदी गई थीं। इसमें बाइक की कीमत, साफ्टवेयर, बार-कोड सिस्टम, डाकिंग स्टेशन और रखरखाव का खर्च शामिल था। औसतन एक ई-बाइक पर लगभग 30 हजार रुपये से यादा की लागत आई। बावजूद इसके, स्टैंड अपना खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। दो साल पहले कंपनी ने कम उपयोग के कारण कई स्टैंड पर बाइक खड़ी करना ही बंद कर दिया था। बाद में स्मार्ट सिटी प्रशासन की सख्ती के बाद संख्या तो बढ़ी, लेकिन उपयोग ठप पड़ गया। अकबर किला जैसे नए स्टैंड पर भी स्थिति वही है। 10 में से कई बाइक दिनभर यों की त्यों खड़ी रहती हैं। जबकि ये ई-बाइक पूरी तरह बैटरी और सेंसर पर आधारित हैं। ये 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम हैं और शहरी आवागमन के लिए उपयुक्त हैं। ई-बाइक को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए किराया भी बेहद सस्ता रखा गया है, फिर भी लोग इसे अपनाने से कतरा रहे हैं। स्टैंड पर लगे बार-कोड को स्कैन कर पहले पंजीकरण और फिर भुगतान करना होता है। समय बढ़ने पर दोबारा स्कैन कर भुगतान किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी की ओर से डिजिटल बोर्डों पर प्रचार भी किया गया, लेकिन इस ओर लोगों का रुझान नहीं बढ़ा।ई-बाइक स्टैंड 2022 से संचालित हैं। जहां इसका उपयोग नहीं हुआ, वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाए गए हैं। यह पूरी तरह पब्लिक पर निर्भर है कि वह इसका कितना इस्तेमाल करती है। जागरूकता के लिए डिजिटल बोर्डों पर प्रचार भी कराया गया है- एके मित्तल, मुख्य अभियंता, स्मार्ट सिटी।

नाबालिग से किया रेप, फिर धर्मपरिवर्तन का बनाया दबाव, अब आरोपी किया गिरफ्तार

मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन कराने का दबाव तथा परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 जनवरी को पीड़िता के पिता ने थाना मझोला में दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया तथा उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विरोध करने पर वादी, उसकी पुत्री एवं बेटों को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के अनुसार वादी ने तहरीर में अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया है। मझोला थाने के प्रभारी निरीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया था। आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस टीम ने आरोपी जुबैर निवासी वासुदेव कॉलोनी ढक्का, थाना मझोला, को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

मुरादाबाद में खूंखार हुए कुत्ते.. रोज 120 लोग हो रहे शिकार, दहशत के बीच नगर निगम नहीं उठा रहा कदम

मुरादाबाद ।

मुरादाबाद जिले में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। खूंखार कुत्ते हर दिन में 120 लोगों को रैबीज की दहशत दे रहे हैं। सोमवार को मुरादाबाद जिला अस्पताल में 250 लोगों ने एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाई। इनमें 120 नए मरीज हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हर दिन नए मरीजों की संख्या 110 से 130 तक रहती है। वहीं साल भर के आंकड़े की बात करें तो जनवरी से दिसंबर 2025 तक कुत्ते के काटने के कारण जिला अस्पताल में 14251 लोगों ने एआरवी लगवाई । स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले की नौ सीएचसी पर हर दिन 30 से यादा लोगों के एआरवी लग रही है। पूरे साल में चार लोगों की कुत्तों के काटने के कारण दर्दनाक मौत हुई है। इनमें बच्चे और युवा शामिल हैं। वहीं नगर निगम का दावा है कि पिछले तीन माह में 4500 से यादा कुत्तों की नसबंदी की गई है। एबीसी सेंटर में तीन दिन तक कुत्तों को निगरानी में रखने के बाद वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। जिला अस्पताल की इमरजेंसी के रिकॉर्ड के मुताबिक रविवार को कांशीराम नगर के 11 लोगों को कुत्ते ने काटा। इनमें से सात एक ही परिवार के सदस्य हैं। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि सभी को एआरवी लगाई गई। उनके मुताबिक ओपीडी के अलावा इमरजेंसी में 24 घंटे में कुत्तों के काटने के 10 से यादा मामले आ जाते हैं। कुछ को भर्ती करना पड़ता है।

ओपीडी में हर दिन औसतन 120 नए मरीज एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने आते हैं। निजी अस्पताल में यह डोज लगभग 300 रुपये की मिलती है। गांव-देहात से ऐसे केस भी आते हैं, जिन्हें कुत्तों ने यादा जख्मी किया हो। ऐसे मरीजों को एंटी रैबीज सीरम लगाया जाता है। - डॉ. संगीता गुप्ता, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक

कुत्तों की नसबंदी के लिए शहर में अभियान चल रहा है। किन-किन इलाकों में कुत्तों के काटने के मामले यादा आ रहा है, उनके विषय में अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। रणनीति बनाकर इन मोहल्लों में भी अभियान चलाया जाएगा। - विनोद अग्रवाल, मेयर।

ट्रंप टैरिफ की मार झेल रहे निर्यातकों को अब अम्बिएंटे फैंकफर्ट मेले से आस

मुरादाबाद। ट्रंप टैरिफ की मार झेल रहे निर्यातकों को अब अम्बिएंटे फैंकफर्ट मेले से आस जगी है। इस मेले में मुरादाबाद के निर्यातकों की बड़े पैमाने पर दमदार उपस्थिति रहेगी। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित उपभोक्ता वस्तु मेला अम्बिएंटे फैंकफर्ट 2026 में प्रमुख निर्यातकों की सहभागिता रहेगी। इस मेले को पीतल नगरी के हस्तशिल्प, होम डेकोर और मेटलवेयर उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का यह महत्वपूर्ण अवसर निर्यातक मान रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। मुरादाबाद के निर्यातकों को अब कारोबार पूरी तरह ठप होने का डर सता रहा है क्योंकि 50 प्रतिशत टैरिफ से ही 60 प्रतिशत कारोबार गिर गया था। अब 500 प्रतिशत टैरिफ से निर्यात की स्थिति और पतली होनी तय है। हालांकि इस बीच विश्व के सबसे प्रतिष्ठित उपभोक्ता वस्तु मेला अम्बिएंटे फैंकफर्ट 2026 को निर्यातक बहुत अछे अवसर के रूप में देख रहे हैं। जिसमें देश के अन्य प्रांतों के अलावा मुरादाबाद के भी प्रमुख निर्यातक सहभागिता करेंगे। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (एमएचईए) के अध्यक्ष नवेद उर रहमान का कहना है कि यह मंच न केवल वैश्विक खरीदारों से जुड़ने का अवसर देता है, बल्कि मुरादाबाद की कारीगरी को विश्व बाजार में और अधिक मजबूत पहचान भी दिलाएगा। बताते हैं कि यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित उपभोक्ता वस्तु मेले अम्बिएंटे फैंकफर्ट है। इसमें मुरादाबाद सहित देश विदेश के प्रमुख निर्यातक भाग ले रहे हैं। जो पीतल नगरी के हस्तशिल्प, होम डेकोर और मेटलवेयर उत्पादों के लिए बाजार बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मेला महत्वपूर्ण अवसर है। नवेद उर रहमान ने बताया कि वैश्विक बाजार में भारतीय हस्तशिल्प की मांग लगातार बढ़ रही है। मुरादाबाद के उत्पाद अपनी गुणवत्ता, डिजाइन और फिनिशिंग के कारण विशेष पहचान बना चुके हैं।

मुरादाबाद मंडल में फिर हत्या: पीपली वन में ग्रामीण को मारी गोली, रामपुर में लकड़ी तस्करों के बीच गैंगवार

मुरादाबाद ।

रामपुर जिले के पीपली वन में ग्रामीण का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पर गोली लगने का निशान है और उसकी पहचान थाना बिलासपुर क्षेत्र के चंदेला गांव निवासी परमजीत उर्फ पम्मी (47) के तौर पर हुई है, जो रविवार से लापता था। अभी इस मामले में परिजनों की ओर से कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि लकड़ी तस्करों के बीच आपसी गैंगवार के चलते हत्या की गई है। पीपली वन की अंबरपुर बीट संख्या 11 में शनिवार सुबह दस बजे ग्रामीण जंगल की ओर गए तो उन्होंने शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना मिलक खानम की इंस्पेक्टर निशा खटाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक के परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन उनकी ओर से कोई लिखित तहरीर पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस लकड़ी तस्करी से जुड़े पुराने मामलों और आपसी रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जांच की जा रही है। अभी तक तहरीर नहीं मिली है।

वन विभाग में पम्मी पर दर्ज हैं नौ केस

रेंजर ठाकुर विजय कुमार ने बताया कि परमजीत सिंह उर्फ पम्मी, निवासी चंदेला, कोतवाली बिलासपुर के ऊपर स्वार रेंज में अति संवेदनशील धाराओं के तहत वन अपराध के कुल नौ मामले दर्ज थे। उनका कहना है कि अपने ही

साथियों के साथ खैर तस्करी में लिप्त था। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि खैर तस्करों के आपसी टकराव में उसकी गोली लगने से मौत हो गई। सोमवार को उसका शव जंगल से बरामद किया गया। शव की जांच में दाईं जांघ में गोली लगने का निशान पाया गया है।

कई बार भेजा जा चुका है जेल

चंदेला गांव निवासी परमजीत उर्फ पम्मा के बारे में थानाध्यक्ष निशा खटाना ने बताया कि उसके ऊपर खैर मिलकखानम और बिलासपुर कोतवाली में लकड़ी की तस्करी से जुड़े लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं। कई बार उसे जेल भेजा जा चुका था।

पीपली वन में गुटबंदी में हो चुकीं कई हत्याएं

पीपली वन क्षेत्र में लकड़ी की अवैध कटान और तस्करी का संगठित अपराध तेजी से फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यहां लगभग एक दर्जन से अधिक तस्कर गिरोह सक्रिय हैं। इन गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई इतनी हिंसक हो चुकी है कि कई बार आपसी गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई तस्करों की जान जा चुकी है। जंगल और उसके आसपास के इलाकों में समय-समय पर शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना रहता है। गत वर्ष जनवरी में कुलवंत नगर थाना गदरपुर निवासी सुंदर लाल का शव बरामद हुआ था। मृतक दो दिनों से लापता था और उसके गले पर कटने का गहरा निशान पाया गया था, जिससे हत्या की आशंका और गहराई थी। इस मामले में वन क्षेत्र में चल रहे आपराधिक नेटवर्क की ओर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। वर्ष 2025 में फरवरी माह में केलाखेड़ा के रम्पुरा काजी निवासी सेठ उर्फ सेठा का शव भी बरामद हुआ था। बताया जाता है कि वह अपने साथियों के साथ जंगल से लकड़ी लेने गया था। बाद में उसकी हत्या की खबर सामने आई, जिसे आपसी गुटबंदी और तस्करी के विवाद से जोड़कर देखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तस्करों के बीच क्षेत्र और रास्तों को लेकर लगातार टकराव होता रहता है।

उत्तराखंड सीमा तस्करों की पनाहगाह

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा पीपली वन तस्करों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। उत्तराखंड के आर्य नगर और बिलासपुर क्षेत्र के अंबरपुर की सीमाएं इस वन क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण तस्कर सीमाओं का फायदा उठाकर जंगल में घुसते हैं और अवैध रूप से लकड़ी का कटान कर उसे बाहर पहुंचा देते हैं।

ठंड की मार के बीच प्रदूषण का वार, फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंची फिजा

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ ही प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। आज दिल्ली की हवा फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 328 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में एक्यूआई का स्तर काफी अधिक है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के अलीपुर में 322, आनंद विहार में 411, अशोक विहार में 366, आया नगर में 293, बवाना में 378, बुराड़ी में 310, और चांदनी चौक इलाके में 380 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं, डीटीयू इलाके में 341, द्वारका सेक्टर-8 में 384, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 में 303, आईटीओ में 340, जहांगीरपुरी में 375, लोधी रोड में 269, मुंडका में 370, नजफगढ़ में 295, नरेला में 367, पंजाबी बाग में 360, आरकेपुरम में 365, रोहिणी में 397, सोनिया विहार में 334, विवेक विहार में 366, और वजीरपुर में 375 एक्यूआई दर्ज किया गया है। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। श्वास संबंधी बीमारियों में वृद्धि और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के बीच गिरते पारे ने कमरे के भीतर बैठे लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ा दी है। सोमवार को बीते दो साल का सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। इस दौरान न्यूनतम पारा 3.2 डिग्री रहा। सीजन की आधिकारिक तौर पर पहली शीतलहर भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, जहां साल 2024 में 15 जनवरी को 3.3 न्यूनतम तापमान और साल 2025 में 9 जनवरी को 4.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया था। सोमवार सुबह 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़के पारे ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी। हालांकि, दोपहर आते-आते सूर्यदेव ने दर्शन दिए, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। लेकिन, शाम को फिर तेज ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी। मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 4.2 और आया नगर में 3.2, लोधी रोड में 3 व पालम में 3.3 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शीतलहर और कोहरे की स्थिति महसूस की गई। इसमें सफदरजंग, पालम, लोधी रोड सीएचओ और आयानगर में ठिठक बढ़ी हुई रही। पालम में सुबह 8:30 बजे हल्के कोहरे के कारण दृष्टि क्षमता केवल 200 मीटर रही। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह-सुबह और देर रात के समय ठंड और कोहरे के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है।

सोनिया का मोदी पर बड़ा हमला, बोलीं- मनरेगा पर बुलडोजर चलाया

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया और योजना में हाल ही में किए गए बदलावों को गरीबों, बेरोजगारों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर सीधा हमला बताया। कांग्रेस पार्टी के एमएनआरईजीए बचाओ अभियान के तहत जारी एक वीडियो संदेश में, गांधी ने याद दिलाया कि रोजगार गारंटी का यह ऐतिहासिक कानून 20 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। सोनिया ने एमएनआरईजीए को एक क्रांतिकारी कदम बताया जिसने ग्रामीण परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया, संकटग्रस्त पलायन को कम किया और लाखों गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया।

गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीबों के हितों की अनदेखी की है और एमएनआरईजीए की भावना को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि न केवल महात्मा गांधी का नाम कानून से हटा दिया गया, बल्कि योजना को ही ध्वस्त कर दिया गया। विपक्ष से सलाह लिए बिना मनमाने बदलाव किए गए। उन्होंने आगे कहा कि रोजगार आवंटन संबंधी निर्णय अब दिल्ली में लिए जाते हैं, जो जमीनी हकीकतों से बहुत दूर हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि एमएनआरईजीए को कमजोर करना भूमिहीन किसानों, ग्रामीण श्रमिकों और वंचितों पर हमला है, और इस बात पर जोर दिया कि यह कानून कभी भी पार्टी का मुद्दा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बीस साल पहले, मैंने अपने गरीब भाई-बहनों के रोजगार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज, मैं इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं।यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी एमएनआरईजीए बचाओ अभियान की शुरुआत का प्रतीक है, जो 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान और काम की मांग आंदोलन शामिल होंगे। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एमएनआरईजीए को एक नए ग्रामीण रोजगार ढांचे से बदलने का प्रयास कर रही है, जिससे गारंटीशुदा काम के प्रावधान कमजोर हो जाएंगे।

14 से 18 जनवरी तक चलेगी शीतलहर, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, राज्यों में अलर्ट

नई दिल्ली ।

देश के कई राज्यों में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। नए साल की शुरुआत से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 14 से 18 जनवरी तक देश के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। शीतलहर के कारण कई इलाकों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ने की आशंका है।

उत्तर-पश्चिम भारत

उत्तर-पश्चिम भारत में सर्दी का असर बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 14, 15, 16, 17 और 18 जनवरी को राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के साथ शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन के समय धूप निकल सकती है, लेकिन तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

पूर्वी और मध्य भारत

पूर्वी और मध्य भारत में भी ठंड का असर जारी रहेगा। आईएमडी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में 14 से 18 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ेगी।

उत्तर-पूर्व भारत

उत्तर-पूर्व भारत में भी सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में 14 से 18 जनवरी के दौरान शीतलहर और सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इससे इन क्षेत्रों में ठिठुरन और बढ़ सकती है।

दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में सर्दी का असर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कुछ इलाकों में ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों और तेलंगाना में 14 से 18 जनवरी तक ठंड का असर बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इन राज्यों में तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है।

ईरान में संकट गहराया, कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी; अब तक 2000 लोगों की मौत

तेहरान । ईरान में पिछले दो हफ्तों से जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। एक ईरानी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह पहली बार है, जब ईरानी अधिकारियों ने इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत के आंकड़े को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी ने दावा किया कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनके लिए तथाकथित आतंकवादी जिम्मेदार हैं। अधिकारी के अनुसार इन घटनाओं में प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ सुरक्षा कर्मियों की भी जान गई है। हालांकि, अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मृतकों में कितने प्रदर्शनकारी थे और कितने सुरक्षा बलों से जुड़े लोग हैं।

ये तमिल संस्कृति पर हमला, एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी; जन नायकन को लेकर केंद्र को घेरा

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार द्वारा तमिल फिल्म जन नायकन पर रोक लगाने की कथित कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर तमिल संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है कि तमिल जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मंगलवार को इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी ने एक्स पर सरकार को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जना नायकन पर रोक लगाना तमिल संस्कृति पर हमला है। श्री मोदी, आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। जना नायकन को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर फिल्म को मंजूरी देने से रोकने या उस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए। हालांकि केंद्र ने सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्तियों का विवरण नहीं दिया है, लेकिन मामले से परिचित सूत्रों का कहना है कि प्रमाणन मानदंडों और विषयवस्तु संबंधी दिशानिर्देशों को लेकर चिंताएं जताई गई थीं, विशेष रूप से फिल्म के राजनीतिक निहितार्थों और समकालीन शासन व्यवस्था के साथ कथित समानताओं को लेकर। आधिकारिक तौर पर स्पष्टता की कमी ने अटकलों और आलोचनाओं को हवा दी है, खासकर तमिलनाडु में, जहां सिनेमा ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक विचारों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है। जन नायकन, जिसका अर्थ है जनता का नेता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक जवाबदेही और जन नेतृत्व पर आधारित अपनी कहानी के कारण रिलीज से पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुका था। फिल्म के समर्थकों का तर्क है कि इसके विषय तमिल राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक पहचान से गहराई से मेल खाते हैं। विपक्षी नेताओं और फिल्म जगत के सदस्यों ने फिल्म पर रोक लगाने के इस कदम को सेंसरशिप करार दिया है और चेतावनी दी है कि यह कलात्मक स्वतंत्रता को कमजोर करता है और भारत के सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक फिल्म उद्योगों में से एक में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को सीमित करता है। कांग्रेस नेता का यह हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है जब विपक्ष की ओर से यह आलोचना बढ़ रही है कि नियामक तंत्रों का इस्तेमाल राजनीतिक विचारों और असहमति की आवाजों को सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है।

मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर्स एक्ट मामले में जमानत को दी मंजूरी

नई दिल्ली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत दे दी। अदालत ने अंसारी को पिछले साल मार्च में अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद, सितंबर में, अदालत ने अंसारी की स्वतंत्रता पर लगाई गई कुछ शर्तों में ढील दी थी, जिनमें वह शर्त भी शामिल थी कि विधायक अब लखनऊ स्थित अपने घर के पते से अलग किसी अन्य पते पर रह सकते हैं, बशर्ते वे अपने नए पते की जानकारी यूपी पुलिस और निचली अदालत को सौंप दें। अदालत ने पहले यह भी स्पष्ट किया था कि उसने अंसारी के सार्वजनिक रूप से बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अदालत ने कहा कि वास्तव में, अंसारी एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर हमेशा की तरह बोल सकते हैं, जैसा कि राजनेता आमतौर पर करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उक्त शर्त इस हद तक सीमित थी कि अंसारी अपने से जुड़े किसी भी मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे मामले विचाराधीन हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज अंसारी की अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया। अंसारी पर अगस्त 2024 में मारपीट और जबरन वसूली के आरोप में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में दिसंबर 2024 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अंसारी को 4 नवंबर, 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था और 6 सितंबर, 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मार्च में उन्हें राहत देते हुए, पीठ ने उल्लेख किया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 18 दिसंबर, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान इस मामले में अन्य आरोपी हैं।

सोमनाथ से अमित शाह का दुनिया को संदेश- सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना आसान नहीं

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सोमनाथ मंदिर पर हमला देश के आत्मसम्मान और धार्मिक आस्था पर प्रहार माना जाता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कई बार ध्वस्त होने के बावजूद, यह मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना आसान नहीं है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जाएगा।

मानसा नगरपालिका के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में उपस्थित शाह ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर हमले ऐतिहासिक रूप से देश के आत्मसम्मान और धार्मिक आस्था पर प्रहार के रूप में देखे जाते रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सनातन धर्म को कमजोर करने में विफल रहे। शाह ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोमनाथ पर हुए हमले को आत्मसम्मान और धर्म पर हमला माना गया और आत्मसम्मान की रक्षा की गई। 16 बार नष्ट होने के बावजूद, भव्य सोमनाथ मंदिर दृढ़ता से खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर की अटूट उपस्थिति विश्व को एक सशक्त संदेश देती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह पूरे विश्व को संदेश देता है कि सनातन धर्म और भारत के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना आसान नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि पूरे वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। इस बीच, गुजरात सरकार ने जनभावनाओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उत्सव 15 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भव्य आयोजन किया गया। रविवार को अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की भगवान भोलेनाथ में आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास को देखते हुए, इस पर्व से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए। विज्ञप्ति के अनुसार,इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवक्ता और कृषि मंत्री जीतूभाई वाघानी ने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक उपस्थिति में सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऐतिहासिक ढंग से मनाया जा रहा है। इस पर्व के अंतर्गत, प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक उपस्थिति में आयोजित शौर्य यात्रा में एक लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और लोग भगवान शिव के प्रति श्रद्धा में लीन हो गए।

पंजाब लोक भवन में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी, एक साथ दिखे सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम नायब सैनी

चंडीगढ़। पंजाब लोक भवन में पारंपरिक लोहड़ी उत्सव धूमधाम से मनाया गया।इस समारोह का आयोजन पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. आशीम कुमार घोष, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरजोत सिंह बैंस एवं संजीव अरोड़ा, राज्यसभा सदस्य डॉ. अशोक मित्तल एवं सरदार सतनाम सिंह संधू, चंडीगढ़ की महापौर हरप्रीत कौर बबला, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद सहित पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने इस पर्व के सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सव आपसी सौहार्द को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते हैं और हमारी सभ्यतागत मूल्यों को संरक्षित रखने में सहायक होते हैं। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोहड़ी से जुड़े लोक नृत्य एवं लोक गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। पंजाब लोक भवन के लॉन को पारंपरिक विरासत गांव की तर्ज पर सजाया गया, जिससे उत्सव का माहौल और भी जीवंत हो उठा। समारोह के दौरान पंजाबी लोकनायक दुल्ला भट्टी (राय अब्दुल्ला खान भट्टी) की वीर गाथा को भी श्रद्धा एवं गौरव के साथ स्मरण किया गया। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों एवं आमंत्रितों के लिए रात्रिभोज का आयोजन भी किया गया। राज्यपाल ने लोहड़ी के पावन अवसर पर पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के लोगों के लिए शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की शुभकामनाएं दीं।

प्रगति पोर्टल से सुशासन को मिली नई गति

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल को उत्तर प्रदेश में सुशासन का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म परियोजनाओं, योजनाओं और जन-शिकायतों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि 'प्रगति सहकारी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण है। राजधानी लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन के बाद देश और प्रदेश में दूरदर्शी नीतियों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2003 में गुजरात में विकसित 'स्वागत पोर्टल की सफलता के आधार पर ही 'प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया, जो आज सिस्टम रिफॉर्म्स का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

मनरेगा थी लूट की गारंटी,विकसित भारत-जी राम जी में एक रुपये के भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं -रीजीजू

नई दिल्ली । केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने जनता से नरेन्द्र मोदी सरकार की विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर हो रहे दुष्प्रचार के प्रभाव में नहीं आने का आह्वान करते हुए कहा कि लूट की गारंटी वाले मनरेगा के विपरीत जी राम जी कानून में एक रुपये का भी भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश नहीं है। रीजीजू ने विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित कार्यशाला के बाद प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) में दरअसल लूट की गारंटी थी। उन्होंने दावा किया कि उसमें ऐसी व्यवस्था की गयी थी जिसमें कुछ लोग तिकड़म करके करोड़ों रुपये लूट लेते थे। मंत्री ने विपक्ष द्वारा मनरेगा को खत्म करके विकसित भारत- जी राम जी योजना शुरू किये जाने का विरोध करने का जिक्र करते हुए कहा, दुष्प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। जब संशोधित नागरिकता कानून लाया गया था, तब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों ने दुष्प्रचार करके देश भर में मुसलमान को बरगलाने का काम किया कि नागरिकता कानून पारित होने से सारे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी।केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसा झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश की गयी। जब यह कानून पारित हुआ तो बताइए कि क्या किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई। विकसित भारत-जी राम जी को लेकर भी ऐसा ही कुछ प्रचार करने की कोशिश की जाएगी। मगर जी राम जी अब कानून बन चुका है और इसे लागू करने की पूरी प्रक्रिया

शुरू हो चुकी है और बदलाव भी आपको जल्द ही दिखाई देगा। उन्होंने मनरेगा खत्म करके महात्मा गांधी का नाम हटाने की साजिश के आरोप सम्बन्धी एक सवाल पर कहा, मनरेगा के नाम के पीछे क्यों पड़े हैं? जो भ्रष्टाचार का साधन था, उस पर हम क्यों बात करें? हमको काम देखना है, नाम नहीं। पुराना कानून ऐसा था कि जिसमें भ्रष्टाचार रोका ही नहीं जा सकता था।रीजीजू ने कहा कि नये कानून में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है और सारी व्यवस्था डिजिटल की गयी है। उन्होंने कहा कि "जोन मैपिंग और सैटेलाइट मैपिंग करके विकसित भारत-जी राम जी की हर परियोजना की नीचे से लेकर ऊपर तक निर्धारित मापदंडों के अनुरूप लगातार निगरानी की जाएगी और एक रुपये की भी धांधली नहीं हो सकेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। रीजीजू के मुताबिक, इसके अलावा, मनरेगा के माध्यम से जिस राज्य को जितनी धनराशि की जरूरत होती थी, उतनी नहीं मिल पाती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नये कानून में 100 दिन की रोजगार गारंटी की अवधि को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही अगर इसमें किसी तरीके से विलंब होता है तो उसका हर्जाना वसूले जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा आबादी और सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिये ज्यादा बदलाव भी उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है।